2022/311

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम छीतूराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 157/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/11/2022.	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता 1 लगा 4 द्वारा जवाब T.I. पेश किया गया। वकील पक्षकारान की प्रार्थना-पत्र अंतरिम निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 408 रकबा 1.6186 है. ग्राम खोरी, पटवार हल्का झर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके की यथा-स्थिति बनाए रखेंगे तथा कब्जा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। पत्रावली कैफल शुमार होकर बाद तकमील मूलवाद के साथ हमफीता हो। (हस्ताक्षर)